नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के बचाव को लेकर ली प्रतिज्ञा

कोविड दिशानिर्देशों का शत प्रतिशत पालन जरूरी – कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल

वर्धा, 16 अक्टूबर 2020 : कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना आवश्यक है। कोविड अब अंतिम दौर में है और यह

महामारी भागने वाली है। हमें अतिरिक्त सावधानी बतरते हुए स्वयं को सुरक्षित रखकर दूसरों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उक्त विचार महात्मा गांधी

अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.रजनीश कुमार शुक्ल ने किये। वे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-

19 से बचाव से संबंधित प्रतिज्ञा कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल एवं प्रतिकुलपति प्रो. चंद्रकांत रागीट मंचासीन थे।

विश्वविद्यालय के वाचस्पति भवन के प्रांगण में कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष,अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा ली।

कुलपति प्रो. शुक्ल ने कहा कि हम कोविड-19 की कठिन परिस्थिति से उबर गये हैं। अब हमें अधिक सावधानी रखते हुए सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने सभी से अपील की कि हमें अपने घर-परिवार और कार्यस्थल में भी अपने आचार-व्यवहार में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक नियमों का अनुपालन करना चाहिए।

प्रतिज्ञा में सार्वजनिक स्थलों पर सदैव मास्क पहनना, कम-से-कम दो गज की दूरी बनाए रखना, हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना जैसी सावधानियां बरतने को लेकर इस अवसर पर प्रतिज्ञा ली गयी।